रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 789] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938
No. 789] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/ CHAITRA 11, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2016

का.आ. 1276(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

पेरियार बाघ आरक्षिती केरल के सबसे प्राचीन संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, यह उत्तरी अक्षांश 9^0 17' 56.04 और 9^0 37' 10.2 तथा पूर्वी देशांतर 76^0 56' 12.12 और 77^0 25' 5.52 के बीच केरल के ईडुक्की, कोट्टायम और पथनामथिटा जिलों में अवस्थित है ;

और, पेरियार बाघ आरक्षिती 925 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें 881 वर्ग किलोमीटर बाघ का महत्वपूर्ण पर्यावास है और 44 वर्ग किलोमीटर बफर जोन है;

और, पेरियार बाघ आरक्षिती कार्डामम पहाड़ियों में अवस्थित है तथा दक्षिणी पश्चिमी घाट की पंडालम पहाड़ियां पेरियार और पांबा नदी का आवाह क्षेत्र है ;

और, पेरियार बाघ आरक्षिती में दुर्लभ, संकटापन्न और स्थानिक जैव विविधता की विविध सूची का वास है, जिसमें 66 स्तनधारियों की प्रजातियां, 323 पक्षियों की प्रजातियां, 48 सरीसृपों की प्रजातियां, 29 उभयचरों की प्रजातियां, 35 मछलियों की प्रजातियां, 167 तितलियों की प्रजातियां, 30 ओडोनेट की प्रजातियां और लगभग 2000 पुष्पित पौधों की प्रजातियां सम्मिलित हैं ;

और, पेरियार बाघ आरक्षिती भारत में कुछ संरक्षित क्षेत्रों में से एक है जहाँ बाघ आरक्षिती का कोर क्षेत्र सम्पूर्ण रूप से अखंड सक्रिय भाग और स्थानीय जनसाधारण के सहयोग के साथ प्राप्त किया गया है ;

और, पेरियार बाघ आरक्षिती इस रूप में विशिष्ट है कि इसकी सीमाओं के भीतर धार्मिक महत्ता के दो स्थल हैं, मंगला देवी मंदिर जो जनता के लिए वर्ष में केवल एक बार खुलता है अर्थात् चित्रापोरनामी और साबरीमाला मंदिर जिसमें प्रत्येक वर्ष लाखों तीर्थ यात्री आते है ;

और, वर्ष 2004 में पेरियार फाउंडेशन की विरचना पेरियार बाघ आरक्षिती प्रबंधन को सहायता प्रदान करने के लिए और पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों का प्रबंधन करने तथा आरक्षिती में विभिन्न परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान को सहायता प्रदान करने के लिए, जिसके अंतर्गत जैव विवधता सामाजिक-आर्थिक मुद्दे और प्रबंधन पद्धतियों में सुधार करना शामिल है, के लिए एक स्वतंत्र न्यास के रूप में की गई थी तथा फाउंडेशन की सफलता ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) में एक संशोधन के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने देश में प्रत्येक बाघ आरक्षिती में ऐसे ही फाउंडेशनों की विरचना को आज्ञापक बना दिया ।

और अब इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पेरियार बाघ आरक्षिती उद्यान के चारों और के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित करना आवश्यक हो गया है तथा उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल राज्य में पेरियार बाघ आरक्षिती की सीमा से 2 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पेरियार बाघ आरक्षिती पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन पेरियार बाघ आरक्षिती की सीमा के चारों ओर 2 किलोमीटर तक है और यह 255.24 में वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध किया गया है ।

(2) मुख्य बिन्दुओं के समन्वयकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी 8 राजस्व ग्रामों में फैला हुआ है । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-III** के रूप में उपाबद्ध की गई है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिसूचना में दिए गए उपदर्शों का अनुपालन करते हुए, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रीति में और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के सामंजस्य से तैयार की जाएगी ।

(4) आचंलिक महायोजना उसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(ix) सिंचाई,

(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) महायोजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विर्निदिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिक अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिक अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

(9) बाघ आरक्षिती के बफर जोन के रूप में यह पारिस्थितिक संवेदी जोन का एक भाग है, बफर जोन के संबंध में बाघ आरक्षिती योजना पर आंचलिक महायोजना तैयार करते समय विचार किया जाएगा ।

(10) आंचलिक महायोजना के उपबंधों को पर्याप्त प्रचार प्रदान किया जाएगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**--राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) भू-उपयोग .–पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं0 13,18, 24, 30 और 33 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं ।

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों**.--आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन.–**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना केरल सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा, केरल सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु विद्यमान स्थापनों के विस्तार को आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत.–पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा की जाएगी और संरक्षा के लिए अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान करनी होगी और अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.—** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा –

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन.**—परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, राज्य सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों के अधीन तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गति के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां.— (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) । जनजातियों के वास्तविक उपयोग के लिए अनुज्ञात होगा ।
5.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

6.	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा ।
10.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) औद्ययोगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भू-जल के निष्कर्षण को, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक खनिज जल संयंत्र और वातित पेय बोटलिंग प्लांट भी हैं, पारिस्थितिक संवेदी जोन में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । (ख) केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि उपयोग और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत जल जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
11.	ठोस अपशिष्टों/प्लास्टिक अपशिष्टों/ रसायनिक अपशिष्टों को नदी और भू-क्षेत्र में डालना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
12.	रसायनिक, औद्योगिक उत्पादन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
		विनियमित क्रियाकलाप
13.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे: परंतु विद्यमान स्थापनों का विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार ही अनुज्ञात किया जा सकता है। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

14.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
16.	विद्युत केबलों, पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन ।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान।	उपचारित बहि:स्रावों के पुन:चक्रण को प्रोत्साहित किया जाएगा और कीचड़ या ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का पालन किया जाएगा ।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई

		विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	दुकानदारों द्वारा पालिथीन के बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक कृषि ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i)	जिला कलेक्टर, ईडुक्की	अध्यक्ष
ii)	जिला कलेक्टर, कोट्टयम का प्रतिनिधि	सदस्य
iii)	जिला कलेक्टर, पत्तनमतिटा का प्रतिनिधि	सदस्य
iv)	विधान सभा का सदस्य, पीरमेडु (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि केरल सरकार अन्य बातों के साथ केरल विधान सभा के सभापति से अनुज्ञा सहित सुसंगत अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, प्राप्त करेगी)	सदस्य
v)	विधान सभा का सदस्य, रान्नी (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि केरल सरकार अन्य बातों के साथ केरल विधान सभा के सभापति से अनुज्ञा सहित सुसंगत अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, प्राप्त करेगी)	सदस्य
vi)	विधान सभा का सदस्य, कंजीरापल्ली (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि केरल सरकार अन्य बातों के साथ केरल विधान सभा के सभापति से अनुज्ञा सहित सुसंगत अनुमोदन, यदि अपेक्षित हो, प्राप्त करेगी)	सदस्य
vii)	अध्यक्ष, जिला पंचायत, ईडुक्की	सदस्य

viii)	अध्यक्ष, जिला पंचायत, पत्तनमतिटा	सदस्य
ix)	अध्यक्ष, जिला पंचायत, कोट्टयम	सदस्य
x)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का केरल सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य
xi)	राज्य में विश्वविद्यालय के विख्यात संस्थान से पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में केरल सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ	सदस्य
xii)	जिला अधिकारी, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ईडुक्की	सदस्य
xiii)	जिला अधिकारी, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पत्तनमतिटा	सदस्य
xiv)	जिला अधिकारी, केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कोट्टयम	सदस्य
xv)	उप निदेशक, पेरियार पूर्व प्रभाग	सदस्य-सचिव

निर्देश निबंधन

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/171/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिक संवेदी जोन के पेरियार बाघ आरक्षिती का सीमा वर्णन

पारिस्थितिक संवेदी जोन के पेरियार बाघ आरक्षिती का सीमा वर्णन निम्न प्रकार से है:

उत्तर: सीमा रान्नी आर एफ में सबरी पारा के दक्षिण पर 489 मीटर [बिन्दु 1] चोटी की ऊंचाई के साथ और सीधी रेखा में उत्तर-पूर्व की ओर जाकर गोपारा माला (554 मीटर) [बिन्दु 2] की चोटी छूती है और इसके अतिरिक्त कुरुथोदु (में 9°28'27.46" उ और 76°56'59.35" पू) [बिन्दु बिन्दु 3] के उत्तर-पश्चिम आर एफ सीमा पर उत्तर-पूर्व की ओर जाती है। वहाँ से सीमा उत्तर-पूर्व की ओर जाकर मंजकल मुदी के पूर्व पर [बिन्दु 4] रान्नी आर एफ सीमा में 9°28'44.14" उ और 76°57'28.29" पू को छूती है। वहाँ से सीमा मंजकल मुदी (528 मीटर) [बिन्दु 5] की चोटी से सीधी रेखा में उत्तर पूर्व की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त रान्नी आर एफ की उत्तरी सीमा के साथ उत्तर-पूर्व की ओर जाकर पान्नी ए आर और अज़हुथा ए आर [बिन्दु 6] के संगम पर जाती है। वहाँ से सीमा जलसंभर रेखा के साथ पूर्व और उत्तर-पूर्व की ओर जाकर गरमबी भूमि के दक्षिण पर स्थित 1073 मीटर [बिन्दु 7] चोटी की ऊंचाई के साथ में रान्नी आर एफ की पूर्वी सीमा को छूती है और इसके अतिरिक्त रान्नी आर एफ सीमा के बिन्दु 9°31'41.69" उ और 77°03'38.62" पू [बिन्दु 8] के साथ पूर्व की ओर जाती है। वहाँ से सीमा सीधी रेखा में पूर्व की ओर जाकर 1078 मीटर [बिन्दु 9] (गरमबी भूमि के दक्षिण पर स्थित) चोटी ऊंचाई के साथ छूती है। वहाँ से सीमा पूर्व की ओर जाकर माउंट कॉलोनी के दक्षिण पर स्थित 1085 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ छूती है। वहाँ से सीमा उत्तर की ओर जाकर कादासीकदु के पश्चिम पर स्थित 1049 मीटर [बिन्दु 11] चोटी की ऊंचाई के साथ छूती है और इसके अतिरिक्त वारायाट्टुमोट्टा माला और पेरियार नदी (9°33'40.99" उ और 77°04'55.56" पू) [बिन्दु 12] से उत्तर पूर्व की ओर संगम से धारा निकलती है। सीमा सीधी रेखा में उत्तर की ओर जाकर मरियामंनदिर में 9°34'16.93" उ और 77°05'52.54 पू" [बिन्दु 13] के निकट वन्दीपरियार और मुज़ीहर के बीच सड़क को छूती है। वहाँ से सीमा सीधी रेखा में उत्तर पूर्व की ओर जाकर वल्लारदीकवला से पश्चिम पर केके सड़क में 9°34'52.97" उ और 77°06'31.47 पू" [बिन्दु 14] को छूती है। वहाँ से सीमा सीधी रेखा में उत्तर पूर्व की ओर जाकर 1097 मीटर (निकट वल्लारदी) [बिन्दु 15] चोटी की ऊंचाई के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त पूर्व की ओर जाकर मुरुक्कदी भूमि में मुरुक्कदी से दक्षिण पर बिन्दु में 9°36'21.36" उ और 77°08'13.72 पू" [बिन्दु 16] और 9°36'37.25" उ और 77°08'18.04 पू" [बिन्दु 17] को छूती है। इसके अतिरिक्त सीमा उत्तर पश्चिम में जाकर मुरुक्कदी से पूर्व के मुरुक्कदी और कुमुली के बीच सड़क में 9° 36'50.70" उ और 77°08'28.37" पू [बिन्दु 18] जाती है। बिन्दु 18 से, वहाँ से सीमा अट्टाप्पल्लम में उत्तर पूर्व की ओर जाकर बिन्दु में 9°37'26.08" उ और 77°09'7.42" पू [बिन्दु 19] छूती है, अट्टाप्पल्लम और अमारावथी के बीच स्थित 9°37'34.75" उ और 77°09'44.24" पू [बिन्दु 20], अमरावथी में कुमली-मुन्नार सड़क से पूर्वी भाग पर स्थित 9°37'27.79" उ और 77°10'06.57" पू [बिन्दु 21] है और सीमा अंतर-राज्य सीमा पर 987 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ समाप्त होती है।

पूर्व: बिन्दु 22 से सीमा अंतर-राज्य सीमा के साथ दक्षिण की ओर जहाँ अंतर-राज्य सीमा के साथ पी टी आर सीमा से मिलती है रोजापुकन्दम के निकट बिन्दु पर (9°36'30.31" उ और 77°10'35.77" पू) [बिन्दु 23] जाती है । वहाँ से सीमा दक्षिण की ओर जाकर और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की उत्तरी सीमा के साथ दक्षिण पश्चिम पर बिन्दु जहाँ अंतर-राज्य सीमा के कल्लीमलाई के निकट अंतर-राज्य सीमा 9°16'15.96" उ और 77°16'58.98" पू [बिन्दु 24] के साथ पी टी आर की दक्षिणी सीमा से मिलती है । वहाँ से सीमा अंतर-राज्य सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाकर 1630 मीटर [बिन्दु 25] चोटी की ऊंचाई के साथ छूती है और बिन्दु 9°15'10.51" उ और 77°16'58.02" पू [बिन्दु 26] पर समाप्त होती है ।

दक्षिण और पश्चिम: बिन्दु 26 से सीमा पश्चिम की ओर जाकर कक्की जलाशय से पूर्वी भाग पर स्थित और गोदरिकल आर एफ में पी टी आर दक्षिण के 1373 मीटर [बिन्दु 27], 1210 मीटर [बिन्दु 28], 1391 मीटर [बिन्दु 29], 1282 मीटर [बिन्दु 30], and 1046 मीटर [बिन्दु 31] चोटी की ऊंचाई के साथ होते हुए जाती है । इसके अतिरिक्त सीमा कक्की जलाशय के जल विस्तृत क्षेत्र में स्थित 1061 मीटर [बिन्दु 32] चोटी की ऊंचाई के साथ उत्तर की ओर जाती है । बिन्दु 32 से सीमा क्ककी जलाशय को पार करके दक्षिण पश्चिम की ओर जाकर कक्की डैम से दक्षिण पश्चिम पर स्थित 1175 मीटर [बिन्दु 33] चोटी की ऊंचाई छूती है और इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम की ओर जाकर श्वरगावाथील से दक्षिण पर स्थित 1070 मीटर [बिन्दु 34] चोटी की ऊंचाई के साथ और कदूवा थोवालाम (990 मीटर) [बिन्दु 35] के ऊपर छूती है । इस बिन्दु से सीमा पश्चिम की ओर जाकर पुड़ा माला (890 मीटर) [बिन्दु 36] की चोटी को छूकर गुदरीकल आर एफ की पश्चिमी सीमा, इराची पारा (569 मीटर) [बिन्दु 37] , कोल्ला कुन्नु (716 मीटर) [बिन्दु 38] पर स्थित है और नीलाकल थवालम की पूर्वी सीमा पर बिन्दु (9°23'11.00" उ 77°01'03.04" पू) [बिन्दु 39] पर जाती है । वहाँ से सीमा नीलाकल थानम की पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की ओर जाकर, नीलाकल थालम की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिम की ओर जाकर और नीलाकल थालम की पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दु पर 9°23'19.98" उ और 77°00'27.83" पू [बिन्दु 40] दक्षिण की ओर जाती है । इस बिन्दु से सीमा उत्तर पश्चिम की ओर जाकर बिन्दु 9°23'27.76" उ और 77°00'01.59" पू [बिन्दु 41] इरामनकुलम सागौन बाग के (9°23'48.91" उ और 76°59'40.37" पू) [बिन्दु 42] के निकट चालाकयम और पलाप्पल्ली के बीच सड़क के होते हुए जाती है । इस स्थान से सीमा उत्तर पश्चिम की ओर जाकर यहाँ वालाथोदु [बिन्दु 43] राजमपारा आर एफ की उत्तरी सीमा को छूती है और इसके अतिरिक्त सीमा सीधी रेखा काटते हुए पश्चिम की ओर मयीलादुम पारा (622 मीटर) [बिन्दु 44] सागौन बाग को पार करके जाती है । वहाँ से सीमा राजमपारा आर एफ की ओर उत्तर पश्चिम से होते हुए बिन्दु 9°24'12.12" उ और 76°55'49.35" पू [बिन्दु 45] पम्बा नदी की सहायक से दक्षिण पर स्थित है, 9°24'31.79" उ और 76°55'31.56" पू [बिन्दु 46] पम्बा नदी की सहायक पर स्थित है, 9°25'04.16" उ और 76°55'22.77" पू [बिन्दु 47] पम्बा नदी के निकट स्थित है और पम्बा नदी से (9°25'22.56" उ और 76°55'22.06" पू) [बिन्दु 48] बाये तट पर बिन्दु पर जाती है । वहाँ से सीमा उत्तर की ओर जाकर इरुवापुज़ह-कानामाला सड़क में 9°25'46.88" उ और 76°55'19.90" पू [बिन्दु 49] को छूती है और इसके अतिरिक्त उत्तर की ओर जाकर रान्नी आर एफ की सीमा में 9°26'03.16" उ और 76°55'23.04" पू [बिन्दु 50] को छूती है और इसके अतिरिक्त रान्नी आर एफ में सीधी रेखा उत्तर पश्चिम की ओर जाकर और आरंभिक बिन्दु पर समाप्त होती है ।

उपाबंध–**II**

पारिस्थितिक संवेदी जोन का अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र

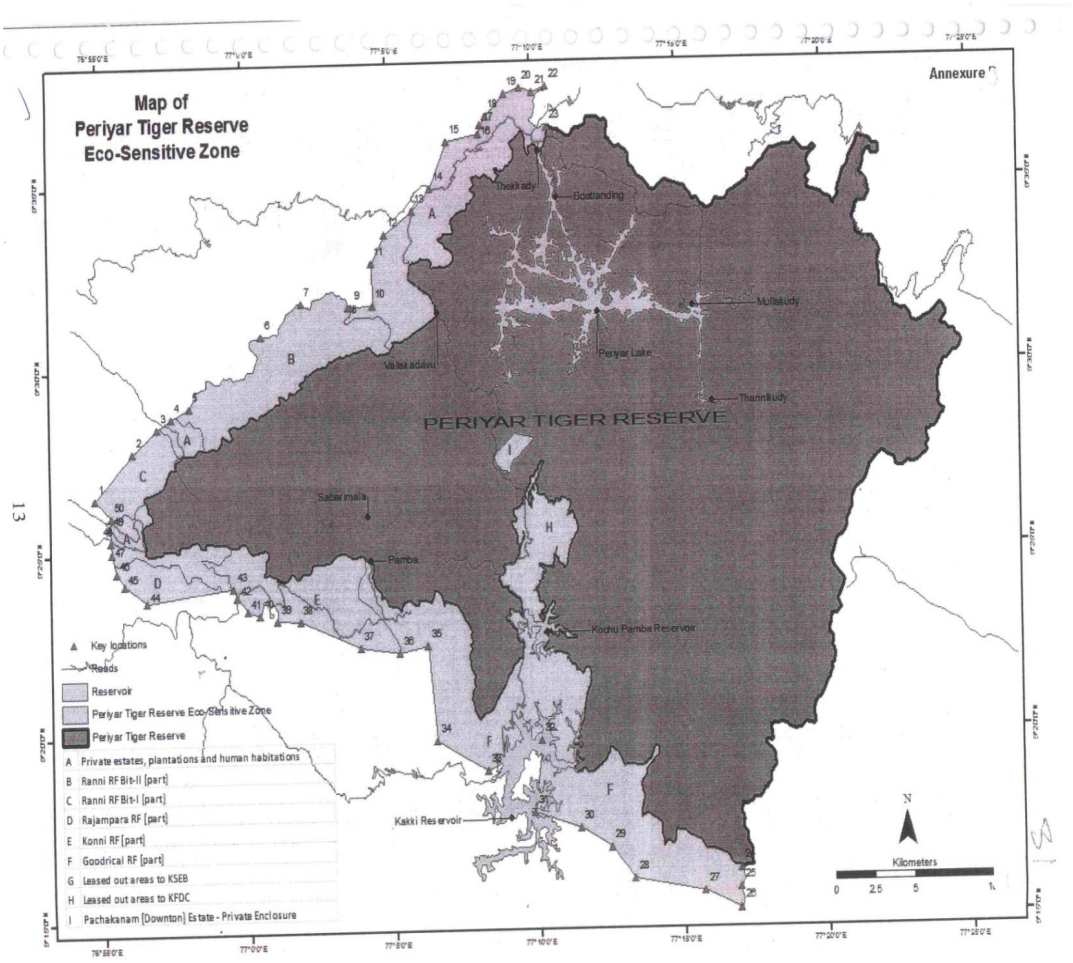

उपाबंध-ग

पेरियार बाघ आरक्षिती के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा में मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर

बिन्दु आई डी	अवस्थान	देशांतर (डीडी/एमएम/ एसएस.एसएस)	अक्षांश (डीडी/एमएम/ एसएस.एसएस)
1	रान्नी आर एफ में [489 मीटर] सबरी पारा	76 54 49 .6944	9 26 33.3672
2	रान्नी आर एफ में [554 मी] गोपरा माला	76 56 8.3436	9 27 48.3624
3	रान्नी आर एफ में कुरुथोदु के उत्तर में स्थित है	76 56 59.352	9 28 27.462
4	रान्नी आर एफ में मंजकलमुदी के पूर्व में स्थित है	76 57 28.2888	9 28 44.1372
5	रान्नी आर एफ की उत्तरी सीमा पर 528 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	76 58 5.6352	9 29 1.6188
6	पन्नी एआर और अज़हुथा एआर का संगम	77 0 36.954	9 30 57.0456
7	ग्रामबी भूमि के दक्षिण पर 1073 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 2 0.6036	9 31 49.4148
8	रान्नी आर एफ के पूर्वी सीमा पर स्थित है	77 3 38.6244	9 31 41.6928
9	ग्रामबी भूमि के दक्षिण पर 1078 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 3 43.9704	9 31 41.79
10	माउंट कालोनी के उत्तर पर 1085 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 4 28.3944	9 31 43.752
11	कदासीक्कदु के पश्चिम पर 1049 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 4 26.922	9 32 54.1644
12	वरयाट्टुमोट्टा माला और पेरियार नदी से धारा आरंभ का संगम	77 4 55.56	9 33 40.9896
13	वन्दीपेरियार और वल्लाकदावु के बीच सड़क के साथ मरियाम्मन मंदिर	77 5 52.5372	9 34 16.932
14	वलारदीकावला के पूर्व पर केके सड़क पर स्थित है	77 12 30.006	9 16 51.5784
15	वलारदी में 1097 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 7 7.7068	9 36 10.35
16	मुरुक्कदी भूमि में मुरुक्कदी के दक्षिण पर स्थित	77 8 13.722	9 36 21.3624
17	मुरुक्कदी भूमि में मुरुक्कदी के दक्षिण पर स्थित	77 8 18.0384	9 36 37.2528
18	मुरुकदी-चेलीमादा सड़क पर स्थित	77 8 28.3668	9 36 50.7024
19	अट्टापल्लम में स्थित	77 9 7.416	9 37 26.076

बिन्दु आई डी	अवस्थान	देशांतर (डीडी/एमएम/ एसएस.एसएस)	अक्षांश (डीडी/एमएम/ एसएस.एसएस)
20	अट्टापल्लम और अमरावथी के बीच स्थित	77 9 40.2372	9 37 34.7484
21	अमरावथी में कुमली-मुन्नार सड़क के पूर्वी भाग पर स्थित	77 10 6.5672	9 37 27.7896
22	अंतर-राज्य सीमा पर 987 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 10 35.3928	9 37 36.0624
23	जंक्शन जहाँ पी टी आर सीमा अंतर-राज्य सीमा से मिलती है	77 10 35.7708	9 36 30.3084
24	अंतर-राज्य सीमा के कल्लीमलाई के निकट पी टी आर के दक्षिणी सीमा पर स्थित	77 16 58.9836	9 16 15.9564
25	अंतर-राज्य सीमा पर 1630 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 16 57.5004	9 15 43.956
26	बिन्दु 25 के दक्षिण पर अंतर-राज्य सीमा पर स्थित	77 16 58.062	9 15 10.512
27	काक्की जलाशय के पूर्व पर गुदरीकल आर एफ में 1373 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 15 42.7068	9 15 38.5668
28	काक्की जलाशय के पूर्व पर गुदरीकल आर एफ में 1210 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 13 18.5484	9 16 0.534
29	काक्की जलाशय के पूर्व पर गुदरीकल आर एफ में 1391 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 12 30.006	9 16 51.5784
30	काक्की जलाशय के पूर्व पर गुदरीकल आर एफ में 1282 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 11 26.2608	9 17 24.0396
31	काक्की जलाशय के पूर्व पर गुदरीकल आर एफ में 1046 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 9 51.7248	9 17 48.8508
32	काक्की जलाशय के पूर्व पर गुदरीकल आर एफ में 1061 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 10 7.4136	9 19 46.7256
33	स्वरगवाथील के दक्षिण पर 1070 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 8 15.324	9 18 58.626
34	स्वरगवाथील के दक्षिण पर 1070 मीटर चोटी की ऊंचाई के साथ	77 6 31.2732	9 19 50.1096
35	कदुवा थवालम [990मीटर]	77 6 14.0112	9 22 25.0572
36	पुदा माला [890 मीटर]	77 5 16.35	9 22 13.8792
37	इराची पारा [569 मीटर]	77 3 55.1484	9 22 22.7028

बिन्दु आई डी	अवस्थान	देशांतर (डीडी/एमएम/ एसएस.एसएस)	अक्षांश (डीडी/एमएम/ एसएस.एसएस)
38	कोल्लाकुन्नु [716 मीटर]	77 1 51.9744	9 23 7.7172
39	नीलाक्कल थावलम की पूर्वी सीमा पर स्थित	77 1 3.0396	9 23 11.004
40	नीलाक्कल थावलम की पश्चिमी सीमा पर स्थित	77 0 27.8316	9 23 19.9752
41	इरामनकुलम और नीलाक्कल थावलम के बीच स्थित	77 0 1.5912	9 23 27.7548
42	सागौन बागान के निकट चलाक्कयाम और पलाप्पल्ली के बीच सड़क पर स्थित	76 59 40.3692	9 23 48.9048
43	सागौन बागान के बीच वाल्लथा तोदु धारा पर स्थित	76 59 32.784	9 24 4.9788
44	राजम पारा आर एफ में मयीलादम पारा [622मीटर]	76 56 33.8424	9 23 43.4148
45	राजमपारा आर एफ में पम्बा नदी के सहायक नदी के दक्षिण पर स्थित	76 55 49.3536	9 24 12.1176
46	राजमपारा आर एफ में पम्बा नदी के सहायक नदी पर स्थित	76 55 31.5588	9 24 31.788
47	राजमपारा आर एफ में पम्बा नदी के निकट स्थित	76 55 22.7676	9 25 4.1628
48	इरुवापुज़्हा के दक्षिण पर पम्बा नदी के बाये तट पर स्थित	76 55 22.0584	9 25 22.5624
49	इरुवापुज़्हा से कानामाला तक सड़क पर स्थित	76 55 19.8984	9 25 46.8804
50	रान्नी आर एफ की दक्षिणी सीमा पर इरुवापुज़्हा के उत्तर पर स्थित	76 55 23.0376	9 26 3.1596

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन में ग्रामों और निहित वनों की सूची

पारिस्थितिक संवेदी जोन के पेरियार बाघ आरक्षिती में आने वाले ग्रामों की सूची

जिला: इडुक्की

तालुक: पीरमादे

क्र. सं.	ग्राम	स्थिति (आंशिक/पूर्ण)
1.	मलापारा	आंशिक
2.	कुमिली	आंशिक
3	वनदीपेरियार	आंशिक
4	मंचुमाला	आंशिक

जिला: कोट्टायम

तालुक: कंजीरापल्ली

क्र. सं.	ग्राम	स्थिति (आंशिक/पूर्ण)
1.	इरुमेली दक्षिण	आंशिक
2.	इरुमेली पश्चिम	आंशिक

जिला: पठानामथीट्टा

तालुक: रान्नी

क्र. सं.	ग्राम	स्थिति (आंशिक/पूर्ण)
1.	कोल्लामुला	आंशिक
2	पेरिनाद	आंशिक

पेरियार बाघ आरक्षिती पारिस्थितिक संवेदी जोन में विशेष शर्तों वाले क्षेत्र

1. पेरियार बाघ आरक्षिती के अंतर्गत टी डी बी के साथ 56.40 हेक्टेयर की भूमि सबरीमाला के लिए उपयोगी है। यह भूमि केरल सरकार द्वारा अनुमोदित महायोजना के अनुसार व्यवस्थित की जाएगी।

2. सबरीगिरी परियोजना के अंतर्गत के एस इ बी की आवास भूमि के 20.7046 वर्ग किलोमीटर पर विशेष रूप से गैर वानिकी उपयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रभावक विशेष शर्तों पर विचार किया गया है। अतः भारत सरकार और केरल सरकार के अनुसार शर्तों की स्वीकृति का अनुसरण किया गया है।

3. अन्य क्षेत्रों : वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रभावक विशेष शर्तों पर केरल पर्यटन विकास निगम के आवास क्षेत्र [8.58 हेक्टेयर], केरल श्रम कल्याण बोर्ड [2.864 हेक्टेयर] को छूट दी गई है।

यह क्षेत्र विशेष शर्तों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा।

उपाबंध-**IV**

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति -की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।

6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2016

S.O. 1276(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Periyar Tiger Reserve is one of the oldest protected areas in Kerala situated between latitudes 9° 17' 56.04" and 9° 37' 10.2" N and longitudes 76° 56' 12.12" and 77° 25' 5.52" E in Idukki, Kottayam and Pathanamthitta Districts of Kerala;

And whereas, the Periyar Tiger Reserve is spread over an area of 925 square kilometres of which 881 square kilometres are critical tiger habitat and 44 square kilometres are buffer zone ;

And whereas, the Periyar Tiger Reserve situated in the Cardamom Hills and Pandalam Hills of the Southern Western Ghats forms the catchment of River Periyar and River Pamba;

And whereas, the Periyar Tiger Reserve harbours diverse array of rare, endangered and endemic biodiversity, including 66 species of mammals, 323 bird species, 48 reptile species, 29 amphibian species, 45 fish species, 167 butterfly species, 30 odonate species and nearly 2000 species of flowering plants;

And whereas, the Periyar Tiger Reserve one of the few protected area in India where the core area of the Tiger Reserve is completely inviolate this has been achieved with the active participation and cooperation of the local populace;

And whereas, the Periyar Tiger Reserve is also unique in having two sites of religious importance within its boundaries, the Mangaladevi temple which is open to the public only one day in a year, i.e. on Chitra Pournami, and the Sabarimala temple which attracts lakhs of pilgrims every year;

And whereas, in the year 2004, the Periyar Foundation was formed as an independent trust for supporting the Periyar Tiger Reserve management and for managing the eco-tourism activities and supporting research on various aspects of the Reserve, including biodiversity, socio-economic and livelihood issues and improving management practices and the success of the Foundation prompted an amendment to the Wild Life (Protection) Act, 1972, (53 of 1972) which made mandatory for the formation of similar 'Foundations' in every Tiger Reserve in the country.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Periyar Tiger Reserve as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to an extent of two kilometres around the boundary of Periyar Tiger Reserve in the State of Kerala as the Periyar Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1)The extent of Eco-Sensitive Zone is up to two kilometres around the boundary of Periyar Tiger Reserve and is spread over an are of 255.24 square kilometre and the description of the boundary are appended as **Annexure-I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II**

(3) The Eco-sensitive Zone covers eight revenue villages. The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(viii) State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation, and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) As the buffer zone of the Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during preparation of the Zonal Master Plan.

(10) Adequate publicity shall be given to the provisions of the Zonal Master Plan.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.—**Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 13, 18, 24, 30 and 33 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.—**(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Kerala in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Kerala.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.

Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan.

However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and

preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.—**The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.—**The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.—**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.—**(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—**All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities:		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for

		construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4the August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution, setting up of hide based industries.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. Permitted for bonafide use of tribals.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law
10	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including for commercial mineral water plants and aerated drinks, bottling plants shall not be permitted in the Eco-sensitive Zone. (b) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
11	Dumping of solid wastes/plastic wastes /chemical wastes in the river and the land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12	Setting up of industries producing chemicals, industries manufacturing explosives.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

Regulated activities:		
13.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
14	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and upto the extent of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan. (c) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.

20.	Introduction of exotic species.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
27	Use of polythene bags by shopkeepers	Regulated under applicable laws.
28	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities:		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted.

5. Monitoring Committee.—(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) The District Collector, Idukki –Chairman;

(ii) Representative of the District Collector, Kottayam –Member;

(iii) Representative of the District Collector, Pathanmthitta –Member;

(iv) The Member of Legislative Assembly, Peermedu –Member;
(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(v) The Member of Legislative Assembly, Ranni –Member ;

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(vi) The Member of Legislative Assembly, Kanjirappally –Member ;

(Subject to the State Government of Kerala obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Kerala, if required)

(vii) President, District Panchayat, Idukki –Member;

(viii) President, District Panchayat, Pathanamthitta –Member;

(ix) President, District Panchayat, Kottayam –Member;

(x) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case –Member;

(xi) one expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Kerala for a term of one year in each case –Member;

(xii) Kerala Pollution Control Board, District Officer, Idukki - –Member;

(xiii) Kerala Pollution Control Board, District Officer, Pathanathitta - –Member;

(xiv) Kerala Pollution Control Board, District Officer, Kottayam - –Member;

(xv) Deputy Director Periyar East Division - Member-Secretary.

6. Terms of Reference.—(1)The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/171/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE

The boundary description of Periyar Tiger Reserve Eco-sensitive Zone is as follows:

North: The boundary starts from a peak with the height of 489 m [Point 1] on the South of Sabari Para in Ranni RF and proceeds towards North East in a straight line to touch the peak of Gopara Mala (554 m) [Point 2] and further proceeds towards North East up to the RF boundary on the North West of Koruthodu (at 9°28'27.46" N and 76°56'59.35" E) [Point 3]. Thence the boundary proceeds towards North East to touch the Ranni RF boundary at 9°28'44.14" N and 76°57'28.29" E on the East [Point 4] of Manjakal Mudi. Thence the boundary proceeds towards North East in a straight line to the peak of Manjakal Mudy (528 m) [Point 5] and further proceeds towards North East along the Northern Boundary of Ranni RF up to the confluence of Panni Ar and Azhutha Ar [Point 6]. Thence the boundary proceeds towards North East and East along the watershed line to touch the Eastern Boundary of Ranni RF at the peak with the height of 1073 m [Point 7] located on the South of Grambi estate and further proceeds towards East along the Ranni RF boundary up to a point at 9°31'41.69" N and 77°03'38.62" E [Point 8]. Thence the boundary proceeds towards East in a straight line to touch the peak with the height of 1078 m [Point 9] (located on the South of Grambi estate). The boundary thence proceeds towards East to touch the peak with the height of 1085 m located on the North of Mount Colony. The boundary thence proceeds towards North to touch the peak with the height of 1049 m [Point 11] located on the West of Kadasikadu and further proceeds towards North East up to the confluence of a stream originates from Varayattumotta Mala and the Periyar River (9°33'40.99" N and 77°04'55.56" E) [Point 12]. The boundary proceeds towards North in a straight line to touch the road between Vandiperiyar and Moozhiyar near Mariyamman Temple at 9°34'16.93" N and 77°05'52.54 E" [Point 13]. Thence the boundary proceeds towards North East in a straight line to touch the KK Road at 9°34'52.97" N and 77°06'31.47 E" [Point 14] on the East of VallardiKavala. The boundary thence proceeds towards North-East in a straight line towards the peak with the height of 1097 m (near Vallardi) [Point 15] and further proceeds towards East touching the points at 9°36'21.36" N and 77°08'13.72 E" [Point 16] and 9°36'37.25" N and 77°08'18.04" [Point 17] on the South of Murukkadi in Murukkadi Estate. The boundary further proceeds towards North-West up to the road between Murukkadi and Kumily at 9° 36'50.70" N and 77°08'28.37" E [Point 18] on the East of Murukkadi. from Point 18, the boundary thence proceeds towards North East touching the points at 9°37'26.08" N and 77°09'7.42"E [Point 19] at Attappallam, 9°37'34.75" N and 77°09'44.24" E [Point 20] located between Attappallam and Amaravathi, 9°37'27.79" N and 77°10'06.57" E [Point 21] located on the eastern side of Kumily-Munnar Road in Amaravathi and the boundary ends at a peak with 987 m height [Point 22] on the interstate boundary.

East: From Point 22 the boundary proceeds towards south along the interstate boundary up to a point (9°36'30.31" N and 77°10'35.77" E) [Point 23] near Rosapookandam where the PTR boundary merge with the interstate boundary. Thence the boundary proceeds towards South and South West along the Northern Boundary of Periyar Wildlife Sanctuary up to a point where the Southern Boundary of PTR merge with interstate boundary at 9°16'15.96" N and 77°16'58.98" E [Point 24] near Kalli Malai on the interstate boundary. Thence the boundary proceeds towards South along the interstate boundry touching the peak with1630 m [Point 25] and ends at a point 9°15'10.51" N and 77°16'58.02" E [Point 26].

South and West: From Point 26, the boundary proceeds towards west through the peaks with the height of 1373 m [Point 27], 1210 m [Point 28], 1391 m [Point 29], 1282 m [Point 30], and 1046 m [Point 31] located on the eastern side of Kakki reservoir and South of PTR in Goodrical RF. The boundary further proceeds towards North to a peak with the height of 1061 m [Point 32] located amidst the water spread area of Kakki reservoir. from Point 32 the boundary runs towards South West across the Kakki reservoir to touch the peak with the height of 1175 m [Point 33] located on the South West of Kakki Dam and further proceeds towards North West touching the peak with the height of 1070 M [Point 34] located on the South of Svargavathil and up to Kaduva Thavalam (990 m) [Point 35]. From this point the boundary runs towards West touching the peaks of Puda Mala (890 m) [Point 36] located on the Western Boundary of Goodrical RF, Erachi Para (569 m) [Point 37], Kolla Kunnu (716 m) [Point 38] and up to a point (9°23'11.00" N 77°01'03.04" E) [Point 39] on the Eastern Boundary of Nilakal Thavalam. The boundary thence proceeds towards North along the Eastern Boundary of Nilakal Thavalam, towards West along the Northern Boundary of Nilakal Thavalam and towards South along the Western Boundary of Nilakal Thavalam up to a point 9°23'19.98" N and 77°00'27.83" E [Point 40]. From this point the boundary run towards Northwest through the point 9°23'27.76" N and 77°00'01.59" E [Point 41] up to the road between Chalakayam and Plappally near Eramankulam teak plantation (9°23'48.91" N and 76°59'40.37" E) [Point 42]. From this location the boundry proceeds towards Northwest to touch the Northern Boundary of Rajampara RF where Valathodu [Point 43] and the boundary further proceeds towards West in a straight line cutting across the teak plantationto Mayiladum Para (622 m) [Point 44]. The boundary thence proceeds in Rajampara RF towards North West through the points 9°24'12.12" N and 76°55'49.35" E [Point 45] located on the South of a tributary of Pamba River,

9°24'31.79" N and 76°55'31.56" E [Point 46] located on the tributary of Pamba River, 9°25'04.16" N and 76°55'22.77" E [Point 47] located near Pamba river and up to a point on the left bank of Pamba River (9°25'22.56" N and 76°55'22.06" E) [Point 48]. Thence the boundary proceeds towards North to touch the Eruvapuzha-Kanamala Road at 9°25'46.88" N and 76°55'19.90" E [Point 49] and further proceeds towards North to touch the Ranni RF boundary at 9°26'03.16" N and 76°55'23.04" E [Point 50] and further proceeds towards North-West in a straight line in Ranni RF and ends at the starting point.

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

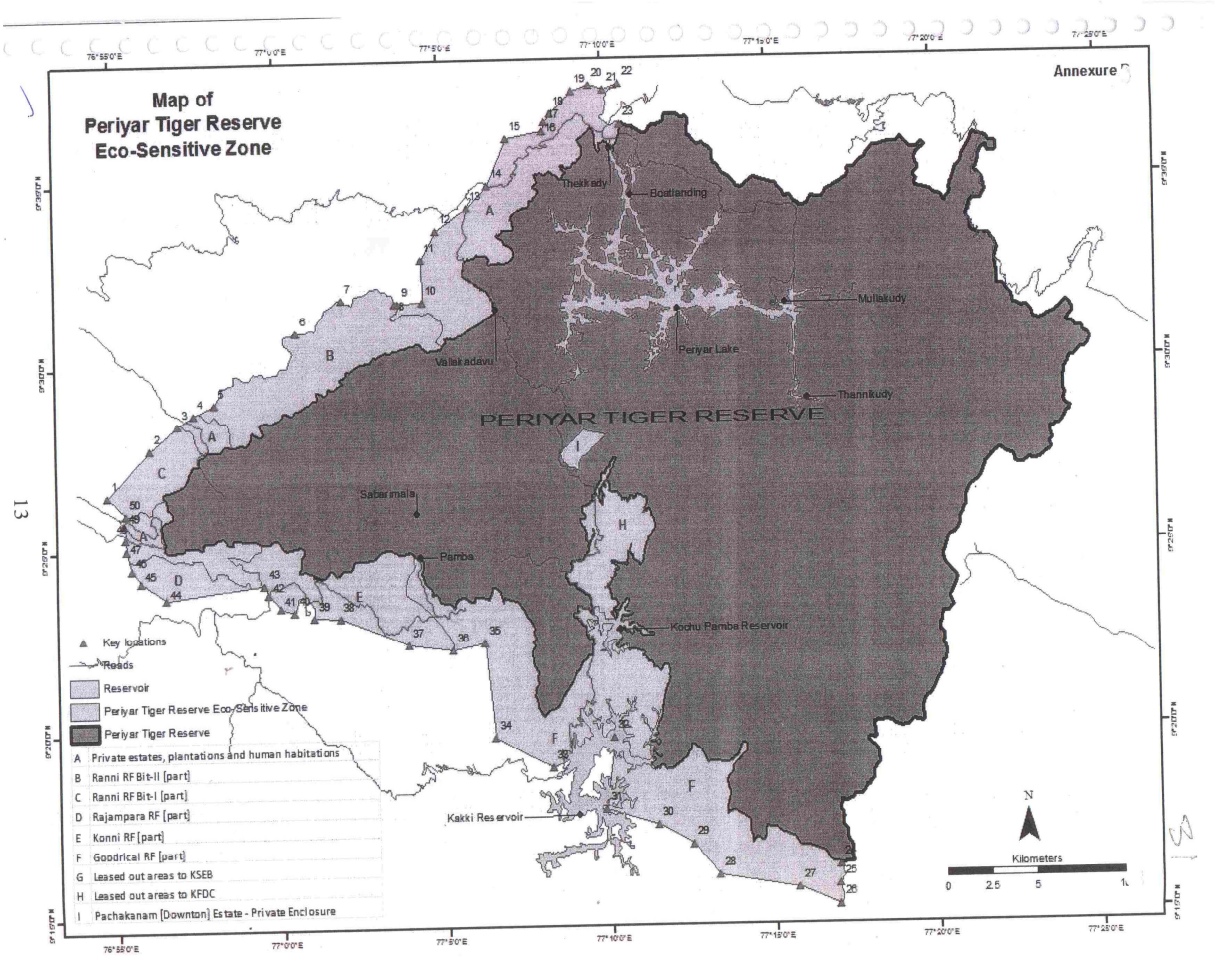

The Longitudes and Latitudes of the key locations in the boundary of Periyar Tiger Reserve Eco-Sensitive Zone

POINT ID	LOCATION	LONGITUDE (DD/MM/SS.SS)	LATITUDE (DD/MM/SS.SS)
1	Sabari Para [489 m.] in Ranni RF	76 54 49 .6944	9 26 33.3672
2	Gopara Mala [554 m.] in Ranni RF	76 56 8.3436	9 27 48.3624
3	A location on the north of Koruthodu in Ranni RF	76 56 59.352	9 28 27.462
4	A location on the east of ManjakalMudi in Ranni RF	76 57 28.2888	9 28 44.1372
5	A peak with 528 m. height on the northern boundary of Ranni RF	76 58 5.6352	9 29 1.6188
6	Confluence of PanniAr and AzhuthaAr	77 0 36.954	9 30 57.0456
7	A peak with 1073 m. height on the south of Gramby Estate	77 2 0.6036	9 31 49.4148
8	A location on the eastern boundary of Ranni RF	77 3 38.6244	9 31 41.6928
9	A peak with 1078 m. height on the south of Gramby Estate	77 3 43.9704	9 31 41.79
10	A peak with 1085 m. height on the north of Mount Colony	77 4 28.3944	9 31 43.752
11	A peak with 1049 m. height on the west of Kadasikkadu	77 4 26.922	9 32 54.1644
12	Confluence of a stream originating from Varayattumotta Mala and Periyar River	77 4 55.56	9 33 40.9896
13	Mariyamman temple along the road between Vandiperiyar and Vallakadavu	77 5 52.5372	9 34 16.932
14	A location on the KK Road ON THE EAST OF Valardikavala	77 12 30.006	9 16 51.5784
15	A peak with 1097 m. height at Valardi	77 7 7.7068	9 36 10.35
16	A location on the south of Murukkadi in Murukkadi Estate	77 8 13.722	9 36 21.3624
17	A location on the south of Murukkadi in Murukkadi Estate	77 8 18.0384	9 36 37.2528
18	A location on the Murukkadi–Chelimada road	77 8 28.3668	9 36 50.7024
19	A location in Attapallam	77 9 7.416	9 37 26.076
20	A location between Attapallam and Amaravathi	77 9 40.2372	9 37 34.7484
21	A location on the eastern side of Kumily-Munnar road in Amaravathi	77 10 6.5672	9 37 27.7896
22	A peak with 987 m. height on the interstate boundary	77 10 35.3928	9 37 36.0624
23	A junction where PTR boundary meet with interstate boundary	77 10 35.7708	9 36 30.3084
24	A locatrion on the southern boundary of PTR near KalliMalai on the interstate boundary	77 16 58.9836	9 16 15.9564
25	A peak with 1630m. height on the interstate boundary	77 16 57.5004	9 15 43.956
26	A location on the interstate boundary on the south of Poihnt 25	77 16 58.062	9 15 10.512
27	A peak with 1373 m. height in Goodrical RF on the east of Kakki reservoir	77 15 42.7068	9 15 38.5668
28	A peak with 1210 m. height in Goodrical RF on the east of Kakki reservoir	77 13 18.5484	9 16 0.534
29	A peak with 1391 m. height in Goodrical RF on the east of Kakki reservoir	77 12 30.006	9 16 51.5784
30	A peak with 1282 m. height in Goodrical RF on the east of Kakki reservoir	77 11 26.2608	9 17 24.0396
31	A peak with 1046 m. height in Goodrical RF on the east of Kakki reservoir	77 9 51.7248	9 17 48.8508

POINT ID	LOCATION	LONGITUDE (DD/MM/SS.SS)	LATITUDE (DD/MM/SS.SS)
32	A peak with 1061 m. height in Goodrical RF on the east of Kakki reservoir	77 10 7.4136	9 19 46.7256
33	A peak with 1070 m. height on the south of Swargavathil	77 8 15.324	9 18 58.626
34	A peak with 1070 m. height on the south of Swargavathil	77 6 31.2732	9 19 50.1096
35	Kaduva Thavalam [990m]	77 6 14.0112	9 22 25.0572
36	Puda Mala [890 m.]	77 5 16.35	9 22 13.8792
37	Erachi Para [569 m.]	77 3 55.1484	9 22 22.7028
38	Kollakunnu [716 m.]	77 1 51.9744	9 23 7.7172
39	A location on the eastern boundary of Nilakkal Thavalam	77 1 3.0396	9 23 11.004
40	A location on the western boundary of Nilakkal Thavalam	77 0 27.8316	9 23 19.9752
41	A location between Eramankulam and Nilakkal Thavalam	77 0 1.5912	9 23 27.7548
42	A location on the road between Chalakkayam and Plappally near teak plantation	76 59 40.3692	9 23 48.9048
43	A location on the Vallatha Todu stream amidst teak plantation	76 59 32.784	9 24 4.9788
44	Mayiladum Para [622m.] in Rajampara RF	76 56 33.8424	9 23 43.4148
45	A location on the south of a tributary of Pamba River in Rajampara RF	76 55 49.3536	9 24 12.1176
46	A location on the tributary of Pamba River in Rajampara RF	76 55 31.5588	9 24 31.788
47	A location near Pamba River in Rajampara RF	76 55 22.7676	9 25 4.1628
48	A location on the left bank of Pamba River on the south of Eruvapuzha	76 55 22.0584	9 25 22.5624
49	A location on the Road from Eruvapuzha to Kanamala	76 55 19.8984	9 25 46.8804
50	A location on the north of Eruvapuzha on the southern boundary of Ranni RF	76 55 23.0376	9 26 3.1596

ANNEXURE-III

LIST OF VILLAGES AND VESTED FORESTS IN ECO-SENSITIVE ZONE

List of Villages in the Periyar Tiger Reserve Eco-Sensitive Zone

DISTRICT: Idukki

TALUK: Peermade

Sl No.	VILLAGE	STATUS (Partial/full)
1.	Mlapara	Partial
2.	Kumily	Partial
3	Vandiperiyar	Partial
4	Manchumala	Partial

DISTRICT: Kottayam

TALUK: Kanjirapally

Sl No.	VILLAGE	STATUS (Partial/full)
1.	Erumely South	Partial
2.	Erumely North	Partial

DISTRICT: Pathanamthitta

TALUK: Ranni

Sl No.	VILLAGE	STATUS (Partial/full)
1.	Kollamula	Partial
2	Perinad	Partial

Exceptions and Exemptions in the Periyar Tiger Reserve Eco-sensitive Zone

1. 56.40ha of land with TDB within Periyar Tiger Reserve used for Sabarimala. This land shall be managed as per Master Plan approved by Government of Kerala.

2. 20.7046 km2 of leased land to KSEB under Sabarigiri Project is specifically allowed for non-forestry use under Forest (Conservation) Act, 1980 imposing special conditions. Hence the conditions as per Government of India and Government of Kerala sanctions shall be followed.

3. Other areas: Leased areas to Kerala Tourism Development Corporation [8.58 ha], Kerala Labour Welfare Board [2.864 ha] have been conditionally exempted under Forest (Conservation) Act, 1980 imposing special conditions.

   These areas shall be managed as per the special conditions.

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   [Details may be attached as Annexure]

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]

6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]

7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.